R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14

मासिक शुल्क : ₹ 1 मात्र

खण्ड VIII ◆ अंक 8
फरवरी 2012

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

नीति

आरक्षित नकदी निधि अनुपात घटाया गया

रिज़र्व बैंक ने 28 जनवरी 2012 से प्रारंभ होने वाले पखवाड़े से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सीआरआर 50 आधार अंक घटाकर उनके निवल माँग व मीयादी देयताओं के 6.0 प्रतिशत से 5.50 प्रतिशत कर दिया है।

निजी क्षेत्र के बैंकों की भारतीय रिज़र्व बैंक के एजेंसी बैंकों के रूप में नियुक्ति

अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के माध्यम से सरकारी कारोबार में ग्राहक सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाने, ग्राहक सेवा केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी के द्वारा ग्राहक सुविधा में सुधार तथा राजस्व वसूली एवं सरकार की भुगतान व्यवस्था को व्यापक आधारित बनाने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि निजी क्षेत्र के सभी बैंकों (पीएसबी) को अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समान किसी केंद्रीय/राज्य सरकार कारोबार (जहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक एजेंसी कमीशन देता है) करने का पात्र माना जाएगा।

सरकारी कारोबार करने का अभिप्राय रखनेवाले बैंकों की रिज़र्व बैंक के एजेंट के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता है। इस प्रयोजन के लिए केंद्र सरकार/संघ शासित क्षेत्र कारोबार हेतु संबंधित असैन्य/गैर-असैन्य मंत्रालय/विभाग बैंक के साथ एक व्यवस्था तैयार करेंगे और उस प्रस्ताव को जाँच के लिए नियंत्रक महालेखाकार (सीजीए) को भेजेंगे। सीजीए उस प्रस्ताव पर अपनी अनुशंसा रिज़र्व बैंक के सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई (डीजीबीए, सीओ) को भेज देगा और उस पर विचार करते हुए रिज़र्व बैंक एक करार संपादित किए जाने के बाद औपचारिक रूप से किसी बैंक को एक एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्त करेगा।

राज्य सरकार कारोबार के लिए राज्य का संबंधित विभाग एक व्यवस्था तैयार करेगा और राज्य के वित्त विभाग से संपर्क करेगा जो उस प्रस्ताव को राज्य में रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक को अनुशंसित करेगा जो इस मामले पर अपनी टिप्पणी के साथ उसे अनुमोदन और अगली कार्रवाई के लिए सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केंद्रीय कार्यालय को अग्रेषित करेगा।

नए/अतिरिक्त कारोबार के प्राधिकरण के लिए किसी एजेंसी बैंक को वर्तमान स्थिति के अनुसार सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केंद्रीय कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा। एक बार रिज़र्व बैंक यदि किसी बैंक को सरकारी कारोबार के लिए प्राधिकृत करता है तो इसके बाद स्वरूप (भौतिक अथवा इ-मोड) तथा परिचालन क्षेत्र से संबंधित अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा। इसका निर्णय नियंत्रक महालेखाकार कार्यालय (केंद्र सरकार के लिए) अथवा राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा किया जाएगा।

पुनः यह स्पष्ट किया जाता है कि केंद्र सरकार मंत्रालय/विभाग (सीजीए के परामर्श से) और राज्य सरकार विभाग (संबंधित महालेखाकार कार्यालय के परामर्श से) रिज़र्व बैंक का कोई संदर्भ दिए बिना किन्हीं पूर्व निधीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किसी बैंक की सेवाएँ ले सकते हैं क्योंकि ऐसी योजनाएँ सरकारी एजेंसी कारोबारी करार की परिवीक्षा में नहीं आती हैं और इस प्रकार वे रिज़र्व बैंक द्वारा एजेंसी कमीशन के भुगतान के लिए अर्हक नहीं होती हैं।

बैंक निदेशकों के संबंधियों को ऋणों/अग्रिमों की स्वीकृति

रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 में निहित प्रतिबंध बैंकों के निदेशकों के पति/पत्नी और नाबालिग/आश्रित बच्चों पर भी लागू होंगे । तथापि, बैंक अपने निदेशकों की पति/पत्नी को ऋण या अग्रिम उन मामलों में मंजूर कर सकते हैं, जहां पति/पत्नी की आय का अपना स्वतंत्र स्रोत है जो उसकी नौकरी या पेशे से जुड़ा हुआ है और मंजूर की गयी ऋण सुविधा उधारकर्ता के साख का मूल्यांकन करने की मानक प्रक्रिया और मानदंडों पर आधारित है । इस प्रकार की सुविधा वाणिज्यिक शर्तों पर दी जानी चाहिए ।

जैसाकि 1 मार्च 1996 के रिज़र्व बैंक के परिपत्र में उल्लेख किया गया है 25 लाख रुपये और उससे अधिक राशि के सभी ऋण प्रस्ताव बैंक के निदेशक मंडल/बोर्ड की प्रबंध समिति द्वारा मंजूर किये जाने चाहिए । 25 लाख रुपये से कम के प्रस्ताव बैंकों के उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा उन्हें दी गयी शक्तियों के अनुसार स्वीकृत किये जा सकते हैं ।

ऋणों और अग्रिमों की मंजूरी से संबंधित उपर्युक्त मानदंड ठेके प्रदान करने पर भी समान रूप से लागू होगा ।

विषय सूची

	पृष्ठ
नीति	
आरक्षित नकदी निधि अनुपात घटाया गया	1
निजी क्षेत्र के बैंकों की भारतीय रिज़र्व बैंक के एजेंसी बैंकों के रूप में नियुक्ति	1
बैंक निदेशकों के संबंधियों को ऋणों/अग्रिमों की स्वीकृति	1
कार्पोरेट के बिना हेज किये विदेशी मुद्रा एक्सपोजर	2
आवास ऋण	2
सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन	2
तकनीकी समायोजन के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक दर बढ़ाया	2
फेमा	
बाह्य वाणिज्यिक उधार -क्रियाविधि को सरल बनाना	2
आयात के लिए विदेशी मुद्रा जारी करना	3
निर्यात के लिए अग्रिम भुगतान	3
सूचना	
चलनिधि जोखिम प्रबंध पर प्रारूप दिशानिर्देश और बासेल III	3
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार पर नायर समिति की रिपोर्ट	4

कार्पोरेट के बिना हेज किये विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

विदेशी मुद्रा जोखिम के विवेकपूर्ण प्रबंध के महत्व की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि बैंक कार्पोरेट को निधि आधारित और गैर-निधि आधारित ऋण सुविधाएं देते समय, कार्पोरेट के बिना हेज किये विदेशी मुद्रा एक्सपोजर से उत्पन्न होने वाले जोखिम का गंभीरता से मूल्यांकन करें और ऋण जोखिम प्रीमियम में उसका मूल्य निर्धारण करें । इसके अलावा, बैंक अपनी बोर्ड अनुमोदित नीति के आधार पर कार्पोरेटों के बिना हेज किये पोजीशन पर एक सीमा निर्धारित करने पर भी विचार कर सकते हैं ।

बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे एक से अधिक बैंकों से ऋण सुविधा लेने वाले उधारकर्ताओं के संबंध में सूचनाओं का आपस में आदान-प्रदान करने के लिए 'सहायता संघीय व्यवस्था/बहु बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत ऋण' पर 8 दिसंबर 2008 के रिज़र्व बैंक के परिपत्र में निर्दिष्ट उन अनुदेशों का पालन करें जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उनके डेरिवेटिव लेनदेन और बिना हेज किये विदेशी मुद्रा एक्सपोजरों से जुड़ी सूचना शामिल रहे ।

आवास ऋण

रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि आवास ऋण मंजूर करते समय आवासीय संपत्ति का मूल्य तय करने के लिए बैंक, आवासीय संपत्ति की लागत में स्टॉम्प ड्यूटी, पंजीकरण और अन्य प्रलेखीकरण प्रभारों को शामिल नहीं करें। यह लागत संपत्ति के वसूली योग्य मूल्य से अधिक हो जाती है क्योंकि स्टॉम्प ड्यूटी, पंजीकरण और अन्य प्रलेखीकरण प्रभार वसूली योग्य नहीं हैं और इसके फलस्वरूप निर्धारित मार्जिन कम हो जाता है ।

सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन

अब यह निर्णय लिया गया है कि उन सरकारी प्रतिभूतियों को रिपो (टी+0 आधार पर) की अनुमति दी जाए जो पहले से ही बिक्री (टी+0 आधार पर) के लिए संविदाकृत की गई हैं। ऐसा लेनदेन शुरु करते समय सहभागी यह सुनिश्चित करें कि निपटान की तारीख को लेनदेन का निपटान सुनिश्चित करने के लिए उनके एसजीएल/सीएसजीएल खातों में पर्याप्त शेष उपलब्ध है। निपटान के किसी भी प्रकार से असफल होने पर 14 जुलाई 2010 के रिज़र्व बैंक के परिपत्र में यथा उद्धृत दण्डात्मक प्रावधान लागू किए जा सकते हैं।

फेमा

बाह्य वाणिज्यिक उधार -क्रियाविधि को सरल बनाना

मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) संबंधी क्रियाविधि के अनुसार सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम), भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गयी ऋण पंजीकरण संख्या (एलआरएन) रद्द करने अथवा मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) हेतु अनुमत अंतिम उपयोग में परिवर्तन के लिए किया गया अनुरोध प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक को आवश्यक अनुमोदन/मंजूरी हेतु प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है ।

मौजूदा क्रियाविधि को सरल बनाने के उपाय के रूप में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों को विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन बाह्य वाणिज्यिक उधारकर्ताओं से प्राप्त अनुरोधों के संबंध में अनुमति देने के लिए अधिकारों का प्रत्यायोजन किया गया है।

ऋण पंजीकरण संख्या (एलआरएन)रद्द करना

स्वचालित और अनुमोदन दोनों मार्गों के तहत लिये गये बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी ऋण पंजीकरण संख्या (एलआरएन) रद्द करने हेतु नामित

तकनीकी समायोजन के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक दर बढ़ाया

रिज़र्व बैंक ने बैंक दर को सीमांत स्थायी सुविधा दर (एमएसएफ) के समरूप बनाते हुए इसमें परिवर्तन करने का निर्णय लिया है जो बदले में चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएफ) के अंतर्गत नीति रिपो दर से सहबद्ध है। तद्नुसार, 13 फरवरी 2012 को कारोबार की समाप्ति से बैंक दर में 350 आधार अंकों की बढ़ोतरी की गई अर्थात् इसे 6.00 प्रतिशत वार्षिक से बढ़ाकर 9.50 प्रतिशत वार्षिक किया गया। इसे सीमांत स्थायी सुविधा दर के अनुरूप बैंक दर को बनाते हुए मौद्रिक नीति रूझान में परिवर्तन की अपेक्षा एकबारगी तकनीकी समायोजन के रूप में देखा और समझा जा सकता है। अब से जब कभी सीमांत स्थायी सुविधा दर का समायोजन होगा, रिज़र्व बैंक इस पर विचार करेगा और बैंक दर को संशोधित सीमांत स्थायी सुविधा दर के समरूप बनाएगा। प्रत्यावर्तनीय अपेक्षाओं में कमी पर सभी दण्डात्मक ब्याज दरें जो विशिष्ट रूप से बैंक दर से जुड़ी हैं, उन्हें भी संशोधित माना जाएगा।

पृष्ठभूमि

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 49 में यह अपेक्षित है कि रिज़र्व बैंक उस मानक दर को सार्वजनिक (समय-समय पर) करेगा जिस पर हुडियों अथवा इस अधिनियम के अंतर्गत खरीद के लिए पात्र अन्य वाणिज्यिक पत्रों की खरीद अथवा पुनर्भुनाई के लिए तैयार किया गया है। चूँकि रिज़र्व बैंक द्वारा भुनाई/पुनर्भुनाई का उपयोग बन्द है, बैंक दर सक्रिय नहीं रही है।

बट्टा दर होते हुए बैंक दर तकनीकी रूप से नीति रिपो दर से अधिक होनी चाहिए। तथापि, अप्रैल 2003 से ही बैंक दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि मौद्रिक नीति के संकेत चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत प्रत्यावर्तनीय रिपो दर और रिपो दर (3 मई 2011 तक) तथा मौद्रिक नीति की संशोधित परिचालन प्रक्रिया के अंतर्गत नीति रिपो दर (3 मई 2011 के बाद) में परिवर्तन के माध्यम से दिए गए थे। इसके अतिरिक्त संशोधित परिचालन प्रक्रिया के अंतर्गत नीति रिपो दर से अधिक 100 आधार अंकों पर स्थापित सीमांत स्थायी सुविधा लागू की गई है जिसने कमोबेश बैंक दर के प्रयोजन में सहायता की है।

जबकि नीति रिपो दर और सीमांत स्थायी सुविधा दर परिचालन में हैं, बैंक दर 6.0 प्रतिशत बनी रही है। बैंक दर बैंकों की प्रारक्षित निधि अपेक्षाओं (प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात) को पूरा करने में कमियों के लिए प्रभारित दण्डात्मक दर के रूप में कार्य करती है। बैंक दर का उपयोग सूचीकरण प्रयोजनों के लिए अन्य कई संगठनों द्वारा संदर्भ के रूप में भी किया जाता है।

रिज़र्व बैंक ने उन विभिन्न संगठनों/स्टेकधारकों से परामर्श किया है जो एक संदर्भ दर के रूप में बैंक दर पर निर्भर करते हैं। प्राप्त प्रतिसूचना के आधार पर यह निश्चित किया गया कि बैंक दर को सामान्यतः सीमांत स्थायी सुविधा दर के समरूप रहना चाहिए।

दण्डात्मक ब्याज दरें जो बैंक दर से सहबद्ध हैं

मद	विद्यमान दर	नई दर (13 फरवरी 2012 को कारोबार की समाप्ति से प्रभावी)
प्रारक्षित निधि अपेक्षाओं में कमियों पर(कमियों की अवधि के आधार पर) दण्डात्मक ब्याज दरें	बैंक दर से 3.0 प्रतिशत अधिक अंक (9.00 प्रतिशत) अथवा बैंक दर से 5.0 प्रतिशत अधिक अंक (11.00 प्रतिशत)	बैंक दर से 3.0 प्रतिशत अधिक अंक (12.50 प्रतिशत)अंक अथवा बैंक दर से 5.0 प्रतिशत अधिक अंक(14.50 प्रतिशत)

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम) से सीधे ही संपर्क कर सकते हैं बशर्ते निम्नलिखित शर्तें पूरी की गई हों :-

- उसी एलआरएन के लिए ऋण न लिया गया हो; और
- एलआरएन के संबंध में आज की तारीख तक (अद्यतन) मासिक ईसीबी-2 विवरणियां सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम) को प्रस्तुत की गयी हों ।

बाह्य वाणिज्यिक उधार राशि के अंतिम-उपयोग में परिवर्तन

नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक स्वचालित मार्ग के तहत लिये गये बाह्य वाणिज्यिक उधारों के अंतिम-उपयोग में परिवर्तन हेतु बाह्य वाणिज्यिक उधारकर्ताओं से प्राप्त अनुरोधों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन, अनुमोदन प्रदान कर सकते हैं:-

- प्रस्तावित अंतिम-उपयोग मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार स्वचालित मार्ग के तहत अनुमति योग्य हों;
- बाह्य वाणिज्यिक उधार की अन्य शर्तों में कोई परिवर्तन न हों;
- बाह्य वाणिज्यिक उधार मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार हों; और
- एलआरएन के संबंध में आज की तारीख तक (अद्यतन) मासिक ईसीबी-2 विवरणियां सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम) को प्रस्तुत की गयी हों ।

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक, उक्त के अंतिम -उपयोग आगम राशि के उपयोग की निगरानी करते रहेंगे तथा अंतिम-उपयोग में परिवर्तनों की रिपोर्ट सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम), भारतीय रिज़र्व बैंक को तत्परता से करेंगे । तथापि, अनुमोदन मार्ग के तहत लिये गये बाह्य वाणिज्यिक उधारों के अंतिम-उपयोग में हुए परिवर्तन अब तक की भांति विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक को संदर्भित/प्रस्तुत करना जारी रखे जाएंगे ।

आयात के लिए विदेशी मुद्रा जारी करना

विभिन्न स्टेकधारकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर किसी दस्तावेजीकरण की औपचारिकता के बगैर आयात के लिए विदेशी मुद्रा विप्रेषण की सीमा 21 फरवरी 2012 से 500 अमरीकी डॉलर अथवा उसके सममूल्य से बढ़ाकर 5000 अमरीकी डॉलर अथवा उसका सममूल्य किया गया है।

रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि प्राधिकृत व्यापारियों को फॉर्म ए-1 सहित कोई भी दस्तावेज प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें आवेदक से केवल आवेदक का नाम और पता, लाभार्थी का नाम और पता, विप्रेषण की राशि और विप्रेषण का प्रयोजन जैसी सामान्य जानकारी का एक सामान्य पत्र प्राप्त करना चाहिए, बशर्ते-

- खरीदी जा रही विदेशी मुद्रा चालू खाता लेनदेन के लिए है और 3 मई 2000 की भारत सरकार की अधिसूचना सं. जी.एस. आर.381(ई) द्वारा तैयार किए गए और समय-समय पर संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000 की अनुसूची I और II में शामिल नहीं है।
- राशि 5000 अमरीकी डॉलर अथवा उसके सममूल्य से अधिक नहीं है; और
- भुगतान आवेदक के बैंक खाते पर आहरित चेक अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा किया गया है।

निर्यात के लिए अग्रिम भुगतान

एक वर्ष से अधिक की अवधि के पोत-लदान (विनिर्माण और लदान) वाले माल निर्यात के लिए अगिम भुगतान की रसीद से संबंधित क्रियाविधि बनाने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंकों को यह अनुमति दी जाए कि वे ऐसे माल के निर्यात के लिए जिसके निर्माण और लदान में एक वर्ष से अधिक समय लगेगा और अग्रिम भुगतान प्राप्त करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि से अधिक समय तक माल के निर्यात के लिए "निर्यात करार" में निर्दिष्ट है का अग्रिम भुगतान प्राप्त करें, बशर्ते-

(i) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंक ने समुद्रपरीय क्रेता के लिए 'अपने ग्राहक को जानें' (केवाइसी) और समुचित सावधानी का कार्य किया हो;

(ii) काला धन आशोधन मानक का अनुपालन सुनिश्चित किया है;

(iii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को ऋण सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्यातक द्वारा प्राप्त निर्यात अग्रिम केवल निर्यात के काम के लिए उपयोग में लाया जाता है और अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं अर्थात लेनेदेने एक प्रामाणिक लेनदेन होना चाहिए;

(iv) यदि भुगतान कोई जारी कार्य के लिए है तो करार की शर्तों के अंतर्गत समुद्रपारीय क्रेता से सीधे प्राप्त किया जाना चाहिए ;

(v) अग्रिम भुगतान पर ब्याज दर, यदि है तो उसे लंदन अंतर- बैंक द्वारा प्रस्तुत दर (लिबोर) + 100 आधार अंक से अधिक नहीं होना चाहिए;

(vi) पिछले तीन वर्षों में प्राप्त अग्रिम भुगतान का 10 प्रतिशत से अधिक धन-वापसी की स्थिति नहीं होनी चाहिए;

(vii) पोत-लदान को शामिल करने वाले प्रलेखों को एक ही प्राधिकृत व्यापारी बैंकों के माध्यम से किया जाना चाहिए ।

(viii) यदि निर्यातक आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से पोत-लदान करने में असमर्थ होता है तो रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना अग्रिम भुगतान का भाग की धन-वापसी के लिए अथवा ब्याज भुगतान के लिए कोई विप्रेषण नहीं किया जाना चाहिए।

सूचना

चलनिधि जोखिम प्रबंध पर प्रारूप दिशानिर्देश तथा चलनिधि मानकों पर बासेल III ढाँचा

रिज़र्व बैंक ने 21 फरवरी 2012 को अपनी वेबसाइट पर अभिमत और प्रतिसूचना के लिए चलनिधि जोखिम प्रबंध तथा चलनिधि मानकों पर बासेल III ढाँचे पर प्रारूप दिशानिर्देश जारी किया।

हाल के संकट में चलनिधि जोखिम प्रबंध में देखी गई कमियों का समाधान करने तथा बैंकों में चलनिधि जोखिम प्रबंध को मजबूत करने के लिए बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) ने सितंबर 2008 में ''सुदृढ़ चलनिधि जोखिम प्रबंध और पर्यवेक्षण के सिद्धांत'' प्रकाशित किया। इसके बाद दिसंबर 2010 में ''बासेल III: चलनिधि जोखिम प्रबंध, मानक और निगरानी'' अर्थात् दो न्यूनतम वैश्विक विनियामक मानक निर्धारित करते हुए चलनिधि पर बासेल III नियमावली का पाठ उदाहरणार्थ; चलनिधि जोखिम के लिए चलनिधि व्यापकता अनुपात (एलसीआर) तथा निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) और पाँच निगरानी उपकरणों का एक सेट प्रकाशित किया गया।

बीसीबीएस का एक सदस्य होते हुए रिज़र्व बैंक बासेल III सुधार पैकेज के उद्देश्य के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है और इसलिए भारत में परिचालनरत बैंकों के लिए इन प्रस्तावों के कार्यान्वयन का अभिप्राय रखता है। तदनुसार, चलनिधि जोखिम प्रबंध तथा चलनिधि मानकों पर बासेल III ढाँचे पर प्रारूप दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।

प्रारूप दिशानिर्देश दो खण्डों अर्थात् खण्ड I और खण्ड II में प्रस्तुत किए गए हैं। खण्ड I में रिज़र्व बैंक द्वारा पूर्व में समय-समय पर जारी चलनिधि जोखिम प्रबंध पर विभिन्न अनुदेशों/मार्गदर्शनों को समेकित किया गया है और जहाँ उचित हो यह सुदृढ़ चलनिधि जोखिम प्रबंध और पर्यवेक्षण के लिए बीसीबीएस के सिद्धांतों की तरह इन अनुदेशों/मार्गदर्शनों को सुसंगत बनाता है और इनमें वृद्धि करता है। खण्ड II में भारतीय बैंकों पर लागू चलनिधि जोखिम पर बासेल III दिशानिर्देशों को जारी किया गया है। दिसंबर 2010 में बीसीबीएस द्वारा जारी बासेल III नियमों के अध्याय में दर्शाए गए दो न्यूनतम वैश्विक विनियामक मानक अर्थात् एलसीआर और एनएसएफआर को दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित किया गया है जो क्रमशः 1 जनवरी 2015 और 1 जनवरी 2018 से अनिवार्य हो जाएँगे। तब तक इन दिशानिर्देशों को सर्वोत्कृष्ट प्रयास के आधार पर अनुपालन के लिए जारी किया गया है। बैंकों द्वारा जून 2012 को समाप्त समाप्त माह/तिमाही से रिज़र्व बैंक के बासेल III ढाँचे के अंतर्गत चलनिधि वापसी प्रस्तुत करने की अपेक्षा है।

प्रारूप दिशानिर्देश पर अभिमत/प्रतिसूचना प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12 वीं मंजिल, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई-400001 को अधिक से अधिक 21 मार्च 2012 तक भेजे जा सकते हैं।

प्रत्येक महीने के कार्य दिवस के अंतिम दो दिन को मुंबई पत्रिका चैनल छँटनी ऑफिस - GPO से प्रेषित **Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14**

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार पर नायर समिति की रिपोर्ट

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 21 फरवरी 2012 को अपनी वेबसाइट पर विद्यमान वर्गीकरण की समीक्षा तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार और संबंधित मुद्दों के संबंध में संशोधित दिशानिर्देश प्रस्तावित करने के लिए गठित समिति (अध्यक्षः श्री वी. नायर, अध्यक्ष, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया) की रिपोर्ट जारी किया।

रिज़र्व बैंक ने बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, अन्य संस्थाओं और आम जनता से समिति की रिपोर्ट पर विचार/अभिमत आमंत्रित किया है। इस रिपोर्ट पर सुझाव और अभिमत प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 10 वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई-400001 को 31 मार्च 2012 तक भेजे जा सकते हैं।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार पर अंतिम परिपत्र इस रिपोर्ट पर प्रतिसूचना, अभिमत और सुझाव प्राप्त करने के बाद जारी किया जाएगा।

समिति का गठन

रिज़र्व बैंक ने मौद्रिक नीति वक्तव्य 2011-12 में की गई घोषणा के अनुपालन में 25 अगस्त 2011 को श्री एम. वी. नायर की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया। इस समिति को विद्यमान वर्गीकरण की समीक्षा तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार और संबंधित मुद्दों के संबंध में संशोधित दिशानिर्देश प्रस्तावित करना था। इस समिति में विभिन्न क्षेत्रों से 10 सदस्य थे और श्रीमती दीपाली पंत जोशी, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक इसकी सदस्य सचिव थीं। इस समिति को व्यापक आधार पर विचारणीय विषय दिए गए थे।

समिति की प्रमुख अनुशंसाएँ

एक विस्तृत और व्यापक परामर्शी प्रक्रिया स्वीकार करते हुए समिति ने समाज के विविधतापूर्ण खण्डों और क्षेत्रों द्वारा सामना किए जा रह मुद्दों की पहचान की; उनकी समग्र रूप से जाँच की और अनुशंसाएँ की जो निर्देशित ऋण का उद्देश्य प्राप्त करने में सहायता करेंगी।

(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार के लिए घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का लक्ष्य समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) अथवा तुलन-पत्र से इतर एक्सपोज़र का ऋण सममूल्य (सीइओबीइ) जो भी उच्चतर हो, को 40 प्रतिशत पर बनाए रखा जाए ।

(ii) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि के बीच की भिन्नता को हटाते हुए 'कृषि और सहबध्द क्रियाकलाप' का क्षेत्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के भीतर संमिश्र क्षेत्र हो। कृषि और सहबध्द क्रियाकलापों का लक्ष्य एएनबीसी अथवा सीइओबीइ, जो भी अधिक हो, का 18 प्रतिशत होना चाहिए।

(iii) कृषि और सहबध्द क्रियाकलापों के भीतर छोटे और सीमांत किसानों के लिए सह- लक्ष्य की सिफारिशें एएनबीसी अथवा सीइओबीइ, जो भी अधिक हो, का 9 प्रतिशत के सममूल्य पर 2015-16 तक चरणबद्ध रूप में प्राप्त किया जाए।

(iv) मध्यम और लघु उद्यम क्षेत्र (एमएसइ) को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में जारी रखा जाए । मध्यम और लघु उद्यम क्षेत्र के भीतर माइक्रो उद्यम के लिए एक सह-लक्ष्य की एएनबीसी अथवा सीइओबीइ, जो भी अधिक हो, का 7 प्रतिशत तक अनुशंसित समतुल्य है जिसे 2013-14 तक चरणबद्ध रूप में प्राप्त किया जाए।

(v) बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए कि "लघु और सीमांत कृषकों" और माइक्रो उद्यम" के अंतर्गत बकाया लाभार्थी खातों की संख्या में से प्रत्येक 15 प्रतिशत की न्यूनतम वार्षिक वृद्धि दर दर्ज़ करे।

(vi) आवास और शिक्षा ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत जारी रखी जाए। एकल व्यक्ति के लिए एक आवास के लिए 25 लाख रुपए तक की गृह निर्माण / गृह खरीद के लिए ऋण; खराब हुए आवासीय मकानों की मरम्मत के लिए ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 2 लाख रुपए तक और अन्य केन्द्रों में 5 लाख रुपए तक के ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत प्रदान किए जाएं ।

(vii) आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग और निम्न आय समूह के लिए आवासीय मकानों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए इन व्यक्तियों को प्रदान किए जाने वाले आवास ऋणों को कमज़ोर वर्ग श्रेणी में शामिल किया जाए।

(viii) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत महिलाओं के सभी ऋणों को भी कमज़ोर वर्गों के लिए ऋण में गिना जाए।

(ix) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत भारत में अध्ययन और विदेश में अध्ययन के लिए ऋण की वर्तमान सीमा क्रमशः 10 लाख रुपए और 20 लाख रुपए को बढ़ाकर 15 लाख रुपए और 25 लाख रुपए किया जाए ।

(x) विदेशी बैंकों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र लक्ष्य एएनबीसी अथवा सीइओबीइ, जो भी अधिक हो, के 40 प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाए। साथ ही माइक्रो उद्यम के लिए अंकित 7 प्रतिशत के भीतर निर्यातों के लिए 15 प्रतिशत और मध्यम और लघु उद्यम क्षेत्र के लिए 15 प्रतिशत का सह-लक्ष्य रखा जाए ।

(xi) समिति ने बाज़ार सहभागियों के रूप में घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, विदेशी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ प्रायोगिक आधार पर निष्क्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाण-पत्र की अनुमति देने की सिफारिश की है ।

(xii) गैर-बैंक वित्तीय बिचौलियों को बैंक ऋण प्रदान किया जाए ताकि विशेष हिस्सों को आगे उधार दिया जा सके । उसके लिए एएनबीसी अथवा सीइओबीइ, जो भी अधिक हो, का अधिकतम 5 प्रतिशत तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए गिने जाने की अनुमति दी जानी चाहिए बशर्ते कुछ सावधानियां और प्रलेखीकरण मानक अपनाए जाते हैं ।

(xiii) रिपोर्ट आधारित रिपोर्टिंग की वर्तमान प्रणाली की कुछ सीमाएं हैं और उसे डाटा-आधारित रिपोर्टिंग से सुधारा जा सकता है। पूर्व निर्धारित मानदण्डों, संदर्भ तारीख, आवधिकता, रिपोर्टिंग की इकाई आदि जैसे डाटा रिपोर्टिंग के मामलों का समाधान करना आवश्यक है ।

समिति की सिफारिशों से आशा है कि उन लागों को ऋण प्राप्त हो सकेगा जिन्हें ऋण प्राप्त करने की पहुँच का अभाव है और उस क्षेत्र को जो व्यापक रोज़गार निर्मित करने वाले है को ऋण उपलब्ध हो के विषय का समाधान करने में उल्लेखनीय प्रभाव पड़ेगा । आशा है कि इन सिफारिशों से देश के विकासात्मक और समावेशित लक्ष्यों को प्रोत्साहन मिलेगा ।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग**, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित।

ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए मुख्य महाप्रबंधक, संचार विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई 400 001 को लिखें। कृपया कोई मांग ड्राफ्ट/चेक न भेजें। मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.mcir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध है।